## वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2015

क्र. एफ 11-26-2015-बी-ग्यारह-**संशोधन.**—राज्य शासन द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11-26-2015-बी-ग्यारह, दिनांक 28 जुलाई 2015 से जारी "मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015" के नियम 9 में किये गये आंशिक संशोधन को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

1. उक्त आदेश की कंडिका 4 निम्नानुसार पढ़ी जावे.—

"4. विद्यमान नियम 9(vi) के पश्चात् निम्नानुसार नया नियम 9(vii) अंत:स्थापित किया जाता है:—

"9(vii)-विकसित तथा विकसित किये जाने वाले ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जो जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के प्रबंधन में है, उनके लिये यह आवश्यक होगा कि आवंटन के पूर्व दरों का अनुमोदन उद्योग आयुक्त से कराया जाये. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के संदर्भ में उनके संचालक मंडल से अनुमोदन आवश्यक होगा."

2. विद्यमान नियम 9(iv) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाता है :—

"परंतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पूर्व से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में हेतु अनुमानित वार्षिक संधारण व्यय का आंकलन करेंगे तथा इसे समानुपातिक रूप से कुल आवंटन योग्य क्षेत्र पर प्रति वर्गमीटर अथवा 10 रुपये प्रति वर्गमीटर के आधार पर गणित किया जावेगा, इनमें जो भी कम हो, आवंटी द्वारा उसे आवंटित क्षेत्रफल पर वार्षिक संधारण शुल्क देय होगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मोहम्मद सुलेमान,** प्रमुख सचिव.

---

## चिकित्सा शिक्षा विभाग

### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2015

क्र. एफ 2-99-2011-1-पचपन.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4-3-2014 द्वारा डॉ. सविता वर्मा, प्राध्यापक पैथोलोजी विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, सागर की सेवाएं कुल सचिव (रजिस्ट्रार) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के पद पर इनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर की गई थी. उक्त अवधि दिनांक 12 मार्च 2015 समाप्त हो चुकी है.

(2) अत: राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. सविता वर्मा, प्राध्यापक पैथोलोजी विभाग की सेवाएं वापस लेते हुए पुन: प्राध्यापक पैथोलोजी विभाग महाविद्यालय, सागर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(3) इसी के साथ ही डॉ. एस. पी. पाण्डे, प्राध्यापक फार्माकोलोजी विभाग चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की सेवाएं कुल सचिव (रजिस्ट्रार) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के पद पर इनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपी जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**शर्मिला ठाकुर,** अवर सचिव.

---

## स्कूल शिक्षा विभाग

### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2015

क्र. एफ 48-01-2015-बीस-3.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अगस्त 2015 जारी आदेश को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) नियम, 1974 के नियम 3 के उपनियम (1) से (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं तथा आदेशों को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य होंगे :—

| स. क्र. | नाम व पता | पद |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | डॉ. गोविन्द प्रसाद शर्मा, हेलीपेड कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश | अध्यक्ष |
| 2 | श्री भागीरथ कुमरावत, ई-7/45 बंगला क्षेत्र, उत्तर तात्याटोपे नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश | सदस्य |